

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

एफ 165(13)पंरावि/एफएफसी/2015-16/  
मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद- समस्त।

14406

जयपुर, दिनांक:- 31-03-2016

**विषय:-** 14वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों को देय निष्पादन अनुदान हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने बाबत।


**संदर्भ:-** पूर्व पत्रांक 9888-89 दिनांक 15.02.2016 एवं अध्यक्षा, पंचम राज्य वित्त आयोग का अ.शा. पत्रांक 811 दिनांक 03.03.2016 व संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का अ.शा. पत्र दिनांक 03.03.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की अवधि हेतु पंचायती राज संस्थाओं के लिए राशि रु. 1363.37 करोड़ निष्पादन अनुदान के पेटे दिये जाने की सिफारिश की गई है। इस संबंध में वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग से अनुमोदन उपरान्त दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक 9607 दिनांक 05.02.2016 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतें निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्य निष्पादन अनुदान हेतु पात्र हो सकेंगी:-

- 1. अंकेक्षित वार्षिक लेख:-** आयोग की रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 9.76 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो कि उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नहीं होंगे। ऐसा अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जावेगा तथा अंकेक्षित खातों के प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।
- 2. निजी आय वृद्धि:-** आयोग की रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 9.76 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी निजी आय में वृद्धि भी करनी होगी और यह वृद्धि लेखा परीक्षित लेखाओं के माध्यम से स्थापित होनी चाहिए। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत निजी आय में वृद्धि होने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के दावे पंचायत समितियों को संबंधित वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत किये जायेंगे। पंचायत समितियों ऐसे दावों को संकलित कर जिला परिषदों को संबंधित वर्ष की 15 जुलाई तक तथा जिला परिषदें ऐसे दावों को संकलित कर संबंधित वर्ष की 31 जुलाई तक पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत करेंगी।

उपलब्ध सूचनानुसार ग्राम पंचायतों का ऑडिट का कार्य काफी पीछे चल रहा है तथा ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी निजी आय में वृद्धि हेतु भी यथेष्ट प्रयास नहीं किये जा रहे हैं जिसकी वजह वर्ष 2016-17 के दौरान निष्पादन अनुदान की प्राप्ति की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने की स्थिति बनती है तथा राजस्थान राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं को निष्पादन अनुदान की राशि से वंचित होना पड़ सकता है। अतः राज्य वित्त आयोग पंचम व वित्त विभाग से प्राप्त उक्त पत्रों के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाकर लेख है कि आपकी जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत भारत सरकार से निष्पादन अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु उपरोक्त शर्तों की पालना कराकर निर्धारित तिथि तक उपरोक्तानुसार सूचनाएं भिजवाना सुनिश्चित करे।

  
(आनन्द कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

एफ 165(13)पंरावि/एफएफसी/2015-16/

जयपुर, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, पंचम राज्य वित्त आयोग, बी-ब्लॉक चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन ग्राम पंचायतों से उपरोक्तानुसार पालना करवाकर निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
5. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

769